The International Journal of Advanced Research In Multidisciplinary Sciences
(IJARMS)
Volume 1 Issue 1, 2018

QVikFkh cky Jfedk dh fLFkfr dk v/;;u

uj'k dqekj
शोध छात्र, राजनीतिशास्त्र विभाग, बी0 एन0 एम0 यू0, मधेपुरा, बिहार

बच्चे किसी देश या समाज की महत्वपूर्ण सम्पति होते हैं, जिनकी समुचित सुरक्षा, पालन–पोषण, शिक्षा एवं दायित्व भी राष्ट्र और समुदाय का होता है क्योंकि कालान्तर में यही बच्चे देश के निर्माण और राष्ट्र के उत्थान के आधार स्तम्भ बनते हैं। बाल कल्याण को प्रमुखता देने के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिवस (14 नवंबर) को प्रति वर्ष बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जहाँ एक ओर बाल कल्याण से संबधित अनेक विषयों पर विश्व जनमत गंभीरता से सोच रहा है, वहीं दूसरी ओर बाल श्रमिकों की समस्या भी तेजी से पनप रही है–विशेषकर विकासशील देशों में यह समस्या अधिक विकराल रूप में दृष्टिगत हो रही है। आज विश्व में लगभग 25 करोड़ बाल श्रमिक हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मजदूर की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। भारत में अनुमानतः बाल श्रमिकों की संख्या 440 लाख से 1000 लाख तक है, किन्तु अधिकृत रूप से इनकी संख्या 17.5 लाख बताई गई है। कुल बाल श्रमिकों का 30 प्रतिशत खेतिहर मजदूर तथा 30–35 प्रतिशत कल कारखानों में कार्यरत हैं। शेष भाग पत्थर खदानों, चाय की दुकानों, ढाबों तथा रेस्टोरेंट एवं घरेलू कार्यों में लगे हुए है एवं गुलामों जैसा जीवन जी रहे हैं।

मजबूरी में या कभी–कभी बाहरी दुनिया की तड़क–भड़क और उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रलोभनों में फँसकर बच्चे अपना घर छोड़कर काम की तलाश में शहरों में जाते हैं। किसी तरह उन्हें छोटा–मोटा काम मिल जाता है, अथवा वे कोई छोटे–मोटे काम (पान या मूँगफली बेचना) करने लगते हैं जिनमें पूँजी की खास जरूरत नहीं पड़ती। एक अनुमान के अनुसार बंगलौर, मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद,कानपुर, चेन्नई आदि शहरों में पाँच लाख बच्चे सड़कों पर गुजर–बसर करते हैं। उदाहरण के तौर पर, रेलवे स्टेशन पर कुली की तरह बोझा ढोना, बुट–पॉलिश करना, रद्दी चुनना, अखबार बेचना आदि। किन्तु उन्हें रहने के लिए बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि महानगरों में किराए के मकान/झोंपड़ियाँ बहुत महँगी होती हैं और बच्चे इतना मकान–भाड़ा देने में अक्षम होते हैं। इसके फलस्वरूप ऐसे बाल–श्रमिकों को रोजाना अपना काम निपटाने के बाद फुटपाथों, प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेण्डों, नुक्कड़ों आदि पर रात गुजारनी पड़ती है। अधिकांश शहरों में ऐसे कामकाजी लोगों के लिए रैन–बसेरे नहीं होते हैं। इन बच्चों में स्वच्छन्दता की भावना पैदा होती है जिसके कारण वे नशा, यौन–शोषण तथा अपराध आदि की बुरी संगत में पड़ जाते हैं। अमेरिका में एक अध्ययन के दौरान पाया गया कि 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों में, जो माँ–बाप के साथ रहते थे, सिर्फ 8.4 प्रतिशत बच्चे ही

वासना–ग्रस्त पाए गए जबकि सिर्फ माँ या सिर्फ बाप के साथ रहने वाले लगभग 20 प्रतिशत बच्चों में यह रोग पाया गया। दूसरे, माँ–बाप के साथ नहीं रहने वाले लगभग 32 प्रतिशत बच्चे नशे की हालत में गाड़ी चलाने की आदत वाले पाए गए जबकि माँ–बाप के साथ रहने वाले सिर्फ 19.6 प्रतिशत बच्चों में यह आदत पाई गई। इसी प्रकार खुदकुशी (आत्महत्या) की कोशिश करने वाले 16.7 प्रतिशत ऐसे बच्चे थे जो माँ–बाप के साथ नहीं रहते थे जबकि माँ–बाप के साथ रहने वाले मात्र 2.8 प्रतिशत बच्चों में ही यह प्रवृति पाई गई। इसके अलावा माँ–बाप के साथ नहीं रहने वाले 11.4 प्रतिशत बच्चों में धूम्रपान की आदत पाई गई जबकि माँ–बाप के साथ रहने वाले मात्र 4.7 प्रतिशत बच्चों में यह आदत पाई गई।

इतना ही नहीं, इन फुटपाथी बच्चों को कुछ अपराधी गिरोहों द्वारा अपने अपराधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि ये उससे इनकार करते हैं, तो उनका अंग–भंग कर दिया जाता है और उन्हें भीख माँगने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। कुछ गिरोह और माफिया–तंत्र इस हद तक अमानवीय कार्य करते हैं कि वे बच्चों की हत्या कर उनके अंगों का अवैध व्यापार करते हैं। मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रही एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अपराधी गिरोह द्वारा बच्चों के अंगों को बेचने के अलावा कइयों से गुलामों की तरह काम लिया जाता है, कइयों को वेश्यावृति में झोंक दिया जाता है तथा कइयों को झूठे मुकदमे में फँसाकर जेलों में बन्द रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। उक्त संस्था ने लातीनी अमेरिका के देशों में बच्चों के अंगों का अवैध व्यापार होने के पक्के सबूत प्राप्त कर लिये हैं। कोलम्बिया में एक बच्ची का अपहरण करके उसकी आँखे निकाल ली गई और उसके बाद उसे उसके माँ–बाप को सौंप दिया गया। उक्त संस्था ने यह भी पाया कि बच्चों के पालन–पोषण आदि के नाम पर शुरू किए गए कुछ केन्द्र भी इस अवैध व्यापार में शामिल हैं क्योंकि वहाँ से कुछ लोग बच्चों को गोद लेकर लापता हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, ग्वाटमाला में बच्चों का अवैध व्यापार करने वालों में वरिष्ठ आव्रजन अधिकारी और सामाजिक संस्थाएँ भी शामिल पाई गई। उक्त संस्था ने यह भी पाया कि ब्राजिल के करीब एक करोड़ बच्चे फुटपाथ पर रहने के लिए अभिशप्त हैं और वहाँ 1989 से 1992 के बीच माफिया ने 4,611 बेघर एवं बेसहारा लोगों की हत्या कर दी। इसी प्रकार हैती देश में भी अपराधी बेघर बच्चों को रात में भगाकर ले जाते हैं और बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है।

एक दूसरा पक्ष भी है कि गरीब बच्चों को खेल या शौक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मासाचुसेट्स के मानवाधिकार संघ के अध्यक्ष अब्देल मोमेन ने यह तथ्य उजागर किया कि एक बार फारस की खाड़ी के देशों में ऊँट की दौड़ के लिए 25 बच्चे बेच दिए गए जिनमें से एकमात्र 4 साल का था। इन बच्चों को ऊँट की पीठ पर रस्सी से बाँध दिया जाता है और उनके चिल्लाने पर ऊँट तेजी से भागता है। इस दौड़ में प्रायः बच्चे नीचे गिर जाते हैं और ऊँटों द्वारा कुचल दिए जाते हैं।

फुटपाथ पर रहने वाले कामकाजी बच्चों में विभिन्न अध्ययनों में अग्रलिखित तथ्य रेखांकित किए गए हैं–

1. ये बच्चे प्रायः घर से भागे हुए या भगाए हुए होते हैं।
2. ये बच्चे प्रायः परिवार से बिछुड़े हुए या अनाथ या जन्मते ही फेंके गए होते हैं।

3. ये बच्चे गरीबी, कुपोषण एवं अशिक्षा के शिकार होते हैं।

4. ये बच्चे शारीरिक, यौन या भावनात्मक शोषण के शिकार होते हैं।

5. ये बच्चे प्रायः असंगठित एवं अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं।

6. ये बच्चे प्रायः अकुशल कार्य करते हैं।

7. ये बच्चे सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर अपना सामान या सेवा बेचते हैं जिसके कारण उन्हें नगरपालिका/निगम तथा अन्य सरकारी विभागों द्वारा हटाया जाता है और वे फिर वहाँ जाते हैं। इस कुचक्र में अधिकारियों/ कर्मचारियों को रिश्वत देनी पड़ती है।

8. ऐसे कुछ बच्चे गलत संगति में पड़कर जुआ, नशीली दवाओं, शराब, काला–धंधा और वेश्यावृति के दलाल/एजेन्ट के रूप में भी काम करते हैं।

9. फुटपाथों/गलियों/नुक्कड़ों पर कुछ असामाजिक तत्त्वों के अप्रत्यक्ष नियन्त्रण/दादागिरी के कारण उन्हें 'हफ्ता' या दूसरे नाम पर रिश्वत देनी पड़ती है।

10. इन बच्चों की खुली जिन्दगी होने के कारण पुलिस–प्रशासन की कुदृष्टि उन पर ज्यादा पड़ती है और सन्देह की सुई प्रायः उन पर घूमने से उन्हें आपराधिक मामलों में भी फँसा दिया जाता है।

11. ये बच्चे प्रायः बड़ शहरों में ज्यादा रहते हैं और यद्यपि भारत की 27 प्रतिशत आबादी ही शहरी है किन्तु कम शहरीकृत में राज्यों में कस्बाई जनसंख्या काफी अधिक है अर्थात ऐसे अधिकांश शहर अनियोजित हसेपे तथा गतिशील लोगों के अव्यवस्थित आगमन से बेतरतीब बढ़े हुए 'बहुत बड़े गाँव' मात्र हैं।

12. चेन्नई में 87.2 प्रतिशत फुटपाथी बच्चे धूप, वर्षा और सर्दी सीधे झेलते हैं, 89 प्रतिशत शौचालय की सुविधा से वंचित हैं और इसमें से 31 प्रतिशत कामकाजी बच्चे हैं। उसमें 22 प्रतिशत कुली, 10 प्रतिशत होटल मजदूर, 9.6 प्रतिशत रद्दी चुनने, 8 प्रतिशत रिक्शा चलाने, 7 प्रतिशत फूल बेचने और 0.3 प्रतिशत देह बेचने का काम करते हैं। उसमें 65 प्रतिशत बालक एवं 35 प्रतिशत बालिकाएँ हैं। 23 प्रतिशत बच्चे 5 वर्ष से नीचे, 23 प्रतिशत बच्चे 16 वर्ष के ऊपर के हैं। उनमें 81 प्रतिशत अनुसूचित जाति के 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के और 17 प्रतिशत अन्य जाति के हैं। इसमें 84 प्रतिशत गरीबी के कारण, 4 प्रतिशत माँ–बाप की मृत्यु के कारण, 9 प्रतिशत बेरोजगारी के कारण और 3 प्रतिशत अन्य कारणों से फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं।

13. इन बच्चों में स्वतंत्रता की भावना, मौलिकता, उद्यमशीलता एवं जिजीविषा का स्वरूप एवं परिणाम प्रायः अधिक होता है तथा कठिन परिस्थितियों में रहने एवं काम करने के कारण इनका अनुभव ज्यादा यथार्थवादी एवं दुनियादारी से पूर्ण होता है।

एक अन्य अध्ययन मे पाया गया है कि मुम्बई में 2169 फुटपाथी बच्चों से 71 प्रतिशत कोई न कोई काम करते थे जिनमें करीब आधे से अधिक स्वनियोजित थे उनमें से 478 बच्चे 10 से 12 घंटे काम करते पाए गए और 313 बच्चे 7–9 घंटे काम करते पाए गए। कम अवधि

तक काम करने वाल बच्चे अंशकालीन काम (यथा रद्दी चुनना या घरेलू काम करना) भी करते थे।

दिल्ली की वंचित बच्चियों का एक अध्ययन किया गया था। जिसमें पाया गया कि 20 में से 13 लड़कियाँ उन परिवारों की थी जिनकी मासिक आय 100 रूपये से कम थी तथा उनमें से 14 घर से बाहर निकलकर अखबार बेचने, घरेलू नौकरी, निर्माण कार्य तथा रद्दी चुनने और एक भीख माँगने का काम कर रही थी। सिर्फ चार बालिकाएँ अपने घरों के कार्यों तक सीमित थीं। उनमें से अधिकांश ने 8 वर्ष की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। 20 में से 18 अशिक्षित थीं और 2 बालिकाएँ सिर्फ कक्षा तीन तक पढ़ी थी। इनकी शादी की उम्र औसतन 12 वर्ष है। 20 में से 14 लड़कियाँ राजस्थान, 2 उत्तर प्रदेश, 2 केरल, 1 तमिलनाडु और 1 पंश्चिम बंगाल से आए हुए परिवारों की थी। अधिकांश परिवारों के मुखिया शराब की लत वाले पाए गए। बच्चों की तुलना में इन बच्चियों के साथ खान–पान, शिक्षा तथा काम में काफी भेदभाव बरता जाता है। इन परिवारों के बालक अपनी कमाई के लिए परिवार के प्रति प्रायः जिम्मेवार नहीं होते और जीवन के मुताबिक कपड़े आदि पहनते हैं जबकि लड़कियों को पारम्परिक कपड़े पहनने पड़ते हैं। ये लड़कियाँ प्रायः अनली झुग्गी– झोंपड़ियों अथवा माँ–बाप पके कार्यस्थल के नजदीक ही काम करती हैं, जिससे उन पर निगरानी रखी जा सके। इनका जीवन तंग, भीड़–भाड़ वाले और गंदे परिवेश में बीतता है।

29 जुलाई, 1993 को भारत की संसद में यह सवाल उठाया गया था कि कुछ गिरोहों द्वारा बच्चों का अपहरण करके उनके अंग–भंग कर दिए जाते हैं तथा उनसे भीख मँगवाई जाती है। तत्कालीन उपमंत्री, गृह मंत्रालय, श्री रामलाल राही ने लोकसभा में स्वीकार किया था कि दिल्ली में उस वर्ष ऐसा एक मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ था और उसमें कोई क गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। बहस के दौरान कुछ सांसदों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसे गिरोह मुबंई, इलाहाबाद आदि शहरों में सक्रिय हैं।

lnHk

1. दैनिक जागरन समाचार पत्र 5 अक्टूबर 2012.

2. विभिन्न जिलों के भ्रमण एवं साक्षात्कार से प्राप्त रिपोर्ट।

3. सिचुएशन एनालिसिस ऑव स्ट्रीट चिल्ड्रेन इन सिटी ऑव बाम्बे (ह्रजेल दि लामा एवं रीमा गोसालिया–1989.)

4. स्ट्रीट चिल्ड्रेन ऑव कानपुर (राजेन्द्र पाण्डेय–आई.आई.टी. कानपुन 1989)

5. सिचुएशन एनालिसिस ऑव स्ट्रीट चिल्ड्रेन इन मद्रास सिटी

   (बोस्को इंस्टीट्यूट ऑव सोशल वर्क–1989)

6. स्ट्रीट चिल्ड्रेन इन मद्रास–1992

7. नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोयडा।